



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा जनपद-गीतमबुद्ध नगर

सदस्य संख्या 2395/N.O.C-145/07 दिनांक 2/11/07

राका 3

40 प्रवायर स्पार्किंग टेस्टोला वर्क प्र.प्र.

22 नमोज वर्क-11, सेक्टर 1, नोएडा, गीतमबुद्ध नगर

गीतमबुद्ध नगर

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उद्योगों की स्थापना हेतु / कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार / मशीनों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

परिचय

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.9.2007 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण को दृष्टिकोण से निम्नलिखित विधिगत शर्तों एवं सामान्य शर्तों (एनएनए) के समुचित अनुपालन के साथ तत्काल अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विवरणों को लिए ही निर्गत किया जा रहा है -

(क) स्थान : प्लॉट संख्या 22, नमोज वर्क-11, सेक्टर 1, नोएडा, गीतमबुद्ध नगर

(ख) उत्पादन : आई-डी वर्क

(ग) मुख्य कच्चे माल : इस्पात, गैसीय



15) ध्युक्त इंधन बिजली - 600 के.के.ए.ए.ए. के से हो.ज.से.के.के.

उपरोक्त बिजली वस्तु से किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2 - उद्योग में सभी आवश्यक बन्ध, लघुत्र इन्जन बहिष्करण, अपवाह शुद्धिकरण लघुत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में बने सभी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3 - उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अनुरोध सतर्कता प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सतर्कता प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सतर्कता आवेदन पत्रों का उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का अक्षेप करते हुए इस कार्यालय में अक्षेप ही जमा करवा दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावित्तों के अनुरोध उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

4 - उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाय।

5 - घरेलू अपवाह, जिसकी मात्रा 38880 लीटर/दिन अधिक से अधिक नहीं होगी। सेंट्रिक टैंक एवं सैफ्ट पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शुद्धिकृत कर निरक्षरित किया जाय।



6 - प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण लघुत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिए गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 14.12.2007 तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रत्यक्ष एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में लक्ष्योपन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय । उपर्युक्त विनिर्दिष्ट एवं सामान्य शर्तों को सम्बन्ध के योग्य द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 10.12.2007 तक प्रथम अनुपालन आख्या अत्राय प्रेषित की जाए । अनुपालन आख्या निश्चित प्रेषित की जाए अथवा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

(Signature)
(परिस नम)

क्षेत्रीय अधिकारी

पृष्ठान्त 290

/ एन० जी० सी०

नद दिनांक

प्रतिलिपि :

1 - मुख्य महाबल अतिरिक्ता मृत-1, उच्च मूल्य नियंत्रण बोर्ड,
"विक्रम भवन" तृतीय मल, बी-ब्लॉक, विजय लक्ष्मी गंधारी नगर, लखनऊ ।

2 - महाबल, जिला उद्योग केंद्र, गीतमपुर नगर



Certified True Photo Copy

(Signature)

NOTARY
Government of India
DELHI

20 JAN 2015

- [illegible]

